

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 2178 / 258

दिनांक 30 / 12 / 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, बागेश्वर

विषय:- जनपद बागेश्वर में बनलेख-मउडियार-ग्वातोली मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या (11434 / 2015)

सन्दर्भ:- Online EDS dated 14-10-2016.

महोदय,

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वनभूमि हस्तान्तरण ऑन लाइन प्रस्ताव संस्तुति सहित अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृत हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ०आर०आई० उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया गया था। वन संरक्षक अल्मोड़ा के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रांक द्वारा सूचित किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ०आर०आई० उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रस्ताव में आपत्तियाँ लगायी गयी हैं।

लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निम्न प्रकार निराकरण कर संस्तुति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं०	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	. It is mentioned that reply to point no.-4 is uploaded at additional document sr. No.-12 in Part-I online but some other document found uploaded in this location. May furnish reply to point no.-4.	Now all the muck disposal will be carried out in non forest Nap Land. The previously shown locations which are situated in forest area are removed. whole of the muck is disposed of in Nap land. Therefore, no need to revise the the proposal, and required document is now uploaded at desired place.
2	The area mentioned in FRA certificate uploaded at para-K of Part-I online is 3.850 ha whereas area proposed for diversion is 4.41 ha. Further the Village Level Committee meeting proceedings for village Gwatoli are not found uploaded along with FRA certificate. May provide revised FRA certificate for correct area and Village Level Committee meeting proceedings for village Gwatoli.	The Area in online Part-I is now corrected, and FRA certificate of remaining village Gwatoli is attached and uploaded with proposal.

(2)

3	As per Decision Support System (DSS) analysis, out the total 9.00 ha area proposed for CA, 1 ha is on Very Dense Forest (VDF) and 3 ha is on Moderately Dense Forest (MDF). State Govt may replace this 4 ha area with some other area suitable for CA and provide/upload revised digital map, Sol topohseet map and KML file of the complete 9.00 ha CA area again	प्रस्ताव विभाग एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वृक्षारोपण स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है तथा पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है।
---	---	---

भवदीय,

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट

पत्रांक / दिनांक / 12 / 2016

प्रतिलिपि वनभूमि सहायक को एक प्रति कार्यालय रिकार्ड हेतु प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक

/

दिनांक 30/12/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, बागेश्वर

विषय:-

जनपद बागेश्वर में बनलेख-मउडियार-ग्वातोली मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या
(11434/2015)

सन्दर्भ:-

Online EDS dated 14-10-2016.

महोदय,

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वनभूमि हस्तान्तरण ऑन लाइन प्रस्ताव संस्तुति सहित अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृत हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ०आर०आई० उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया गया था। वन संरक्षक अल्मोड़ा के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रांक द्वारा सूचित किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ०आर०आई० उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रस्ताव में आपत्तियों लगायी गयी हैं।

लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निम्न प्रकार निराकरण कर संस्तुति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं०	लगायी गयी आपत्तियों	आख्या
1	. It is mentioned that reply to point no.-4 is uploaded at additional document sr. No.-12 in Part-I online but some other document found uploaded in this location. May furnish reply to point no.-4.	Now all the muck disposal will be carried out in non forest Nap Land. The previously shown locations which are situated in forest area are removed. whole of the muck is disposed of in Nap land. Therefore, no need to revise the the proposal, and required document is now uploaded at desired place.
2	The area mentioned in FRA certificate uploaded at para-K of Part-I online is 3.850 ha whereas area proposed for diversion is 4.41 ha. Further the Village Level Committee meeting proceedings for village Gwatoli are not found uploaded along with FRA certificate. May provide revised FRA certificate for correct area and Village Level Committee meeting proceedings for village Gwatoli.	The Area in online Part-I is now corrected, and FRA certificate of remaining village Gwatoli is attached and uploaded with proposal.

(2)

3	As per Decision Support System (DSS) analysis, out the total 9.00 ha area proposed for CA, 1 ha is on Very Dense Forest (VDF) and 3 ha is on Moderately Dense Forest (MDF). State Govt may replace this 4 ha area with some other area suitable for CA and provide/upload revised digital map, Sol topohseet map and KML file of the complete 9.00 ha CA area again	प्रस्ताव विभाग एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वृक्षारोपण स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है तथा पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है।
---	---	---

भवदीय,

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट

पत्रांक 2170 / 250 दिनांक 30/12/2016

प्रतिलिपि वनभूमि सहायक को एक प्रति कार्यालय रिकार्ड हेतु प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट

प्रपत्र- 23

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत बनलेख-मउडियार-ग्वातोली मोटर मार्ग 12.00 किमी0के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मउडियार (लेहानी)

तहसील का नाम दुधानापुरी, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हेतु आरक्षित वनभूमि 1.0.50 हे0 सिविल सोयम भूमि 1.6.45 हे0 वन पंचायत भूमि 1.7.15 -
.... हे0) अर्थात् कुल 4.41.0 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मउडियार द्वारा दिनांक 20/11/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मउडियार के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव

Whudiyar
सरपंच
वन पंचायत मउडियार
पट्टी दुग पो0 बनलेख
तहसील/जिला-बागेश्वर
28-12-2016

ह0/-
28/12/2016
ग्राम प्रधान

प्रपत्र— 23

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत बनलेख-मउडियार-ग्वातोली मोटर मार्ग 12.00 किमी0के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 20/11/15 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत मउडियार (वेदानी)

[illegible]

ह0 / ~~...~~ 28/12/2016
ग्राम प्रधान

Whundiyam
सरपंच
दल पंजापत मौंडियाद
एडी दुग पों बनलेख
हहसोल/जिला-वागेश्वर
28-12-2016

मार्ग का नाम:- एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वातोली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सुदिल
तहसील का नाम दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख-मउडियार-ग्वातोली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि, 1.645 हे0 सिविल सोयम भूमि 1.645 हे0 वन पंचायत भूमि 1.715 हे0) अर्थात् कुल 4.410 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुदिल द्वारा दिनांक 19.01.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा हुई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

20/-
ग्राम पंचायत सुदिल
तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर

अमलादेवी
ह0/ ~~अनापत्ति~~
ग्राम पंचायत सुदिल
तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर

योजना का नाम:- एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मण्डियार ग्वाताली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक 19-01-2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सुन्दर

क्र.सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
	अलखान्त सिंह पचौला	
	रतन सिंह	
	शुशाला सिंह	
	केसर सिंह	
	भागीरथी देवी	
	लाल सिंह	
	कैलाश सिंह	
	सुरज सिंह	
	कमला देवी	
	आल सिंह	
	उदे सिंह	
	हयत सिंह	
	निरज सिंह	
	अलिता देवी	
	आधूल सिंह	
	वसन्ता देवी	
	बहादुर सिंह	
	कस्तुरी देवी	
	खड्ग देवी	
	शेर सिंह	
	पताप सिंह	
	शेर सिंह	

कमला देवी
ग्राम पंचायत सुन्दर
ह0
ग्राम प्रधान (बागैस)

11 का नाम:- एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वातोली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जुनायल
तहसील का नाम दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत व-मउडियार-ग्वातोली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि, हे0 सिविल सोयम भूमि 1.645 हे0 वन पंचायत भूमि 1.715 हे0) अर्थात् कुल 4.410 हे0 वनभूमि का 0वि0 कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु न प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जुनायल द्वारा दिनांक 19.01.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम सभा की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा कहा गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं हो जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि, लो0नि0वि0 कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ग्राम सचिव
सरपंच
ग्राम पंचायत जुनायल
तहसील/जिला बागेश्वर

ह0/-

ग्राम प्रधान

Qina
प्रधान

ग्राम पंचायत जुनायल

तहसील-बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

रियोजना का नाम:-

दिनांक 19-1-2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत जुनावल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	प्रमोद चन्द्र	प्रमोद चन्द्र
2	विष्णु चन्द्र	विष्णु चन्द्र
3	विनय चन्द्र	विनय चन्द्र
4	प्रमोद चन्द्र	प्रमोद चन्द्र
5	हरीश कांडोवाल	हरीश कांडोवाल
6	हरी शंकर	हरी शंकर
7	मोहन चन्द्र	मोहन चन्द्र
8	प्रकाश चन्द्र	प्रकाश चन्द्र
9	सुरेश चन्द्र	सुरेश चन्द्र
10	विमान राम	विमान राम
11	देव राम	देव राम
12	रामचन्द्र	रामचन्द्र
13	गंगा देवी	गंगा देवी
14	वसुधा देवी	वसुधा देवी
15	प्रमोद जोशी	प्रमोद जोशी
16	मन्जु जोशी	मन्जु जोशी
17	रमेश चन्द्र	रमेश चन्द्र
18	पुष्पा जोशी	पुष्पा जोशी
19	दीपक राम	दीपक राम
20	मोहन राम	मोहन राम
21	गोविन्द राम	गोविन्द राम
22	प्रेम चन्द्र	प्रेम चन्द्र
23	नन्द किशोर	नन्द किशोर
24	गोविन्द कुमार	गोविन्द कुमार
25	दिपक जोशी	दिपक जोशी
26	रम की जोशी	रम की जोशी

ह0/-
ग्राम प्रधान

प्रधान

ग्राम पंचायत जुनावल
वि०ख०/जिला-बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

सरपंच
ग्राम पंचायत जुनावल
बागेश्वर/जिला बागेश्वर

प्रपत्र- 23

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत बनलेख-मउडियार-ग्वातोली मोटर मार्ग 12.00 किमी0के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ग्वातोली

तहसील का नाम दुःग-नकुरी, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हेतु आरक्षित वनभूमि 1.05.0 हे० सिविल सोयम भूमि 1.6.45 हे० वन पंचायत भूमि 1.7.15 हे०) अर्थात् कुल 4.41.0 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ग्वातोली द्वारा दिनांक 19.11.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

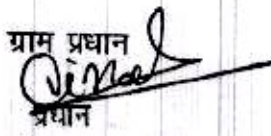
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ग्वातोली के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

ह०/-

ग्राम प्रधान

प्रधान

ग्राम पंचायत जुनावल
वि०ख०/जिला-बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

प्रपत्र- 23

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत बनलेख-मउडियार-ग्वातोली मोटर मार्ग 12.00 किमी0के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 19-1-15 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ग्वातोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1.	ग्राम प्रधान जुनाग्राल	<u>Dinpal</u>
2.	सरी डलद	सरी डलद
3.	दुरपन राम	दुरपन राम
4.	दीवान राम	दीवान राम
5.	गुमान राम	गुमान राम
6.	मोविन्द राम	मोविन्द राम
7.	भुवन राम	भुवन राम
8.	मदन राम	मदन राम
9.	वमेश राम	वमेश राम
10.	उमेश राम	उमेश राम
11.	पुन राम	पुन राम
12.	हरि राम	हरि राम
13.	अनुराम	अनुराम
14.	सुरेश चन्द	सुरेश चन्द
15.	उम वल्लभ	उम वल्लभ

ह0/-

ग्राम प्रधान
Dinpal
प्रधान

ग्राम पंचायत जुनाग्राल
वि०ख०/जिला-बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

योजना का नाम:- एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वातोली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागेश्वर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, दुगनाकुरी

उपखण्ड कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वातोली तक 12 किमी0 मोटर मार्ग (आरक्षित वन भूमि 1.050 हे0 सिविल एवं सोयम वनभूमि 1.645 हे0 वन पंचायत भूमि 1.715 हे0 , अर्थात् कुल 4.410 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील दुगनाकुरी) की दिनांक 12-1-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील दुगनाकुरी) की दिनांक 12-1-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री फिचाराम चौहान-उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री. फिचाराम चौहान उपजिलाधिकारी बागेश्वर अध्यक्ष
- 2- श्री. ~~सहायक समाज कल्याण अधिकारी~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर सदस्य
- 3- श्री. कालू राम वर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी कपकोट सदस्य/सचिव
- 4- श्री जगदीश राम बी0डी0सी0 क्षेत्र पलायन सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत बनलेख मउडियार ग्वातोली मोटर मार्ग के परियोजना हेतु 4.410 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी व.ग. 24/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराये कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी वन का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/ पंचायत द्वारा जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कपकोट क्षेत्र के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत मण्डियार ग्वातोली मोटर मार्ग के परियोजना निर्माण हेतु 4.410 हे0 वनभूमि लो0नि0वि0 वनसूची को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त

व.ग. 24/
तहसील समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड कपकोट
जनपद-बागेश्वर

व.ग. 24/
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपजिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
बागेश्वर
तहसील हु.ग. न.कु.री
जनपद व.ग. 24/

लिपि: जिलाधिकारी व.ग. 24/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

व.ग. 24/
तहसील समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड कपकोट
जनपद-बागेश्वर

व.ग. 24/
सदस्य
क्षेत्र पंचायत पञ्चम
दि. 24/ जिला-बागेश्वर
(उपखण्ड)

व.ग. 24/
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपजिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
बागेश्वर
तहसील हु.ग. न.कु.री
जनपद व.ग. 24/

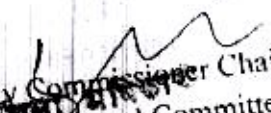
ANNEXURA-1

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (Recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 16-02-2015 at time 3:50pm at Bageshwar in which application claiming rights in Maudiyar- Gwatoli area measuring 4.410 hect for the construction of Banlekh Maudiyar Gwatoli motor road (12.00km) of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.


Deputy Commissioner Chairman
District level Committee

Bageshwar

Date: 16-2-2015

Form-1
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

Dated..16/2/15

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of application for diversion of forest land. Having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF has granted relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.850** hectares of forest and proposed diversion is in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar** for **Construction of Banlekh Maudiyar Gwatoli motor road (12.00km) in distt Bageshwar**. It is further certified that :-

The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.410** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexure.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent it;.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.

The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. Certificate prescribed in form 23-4 attached.

Enclosed- as above

Signature

Dated 16/2/15

(Bhupal Singh Manral)

District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

Form-II
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

Dated..16.12.15

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No- (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest use read with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear diversion of forest land proposed to be diverted in favor of Construction Division, Department of Public Works, Government of Uttarakhand for Banlekh Maudiyar Gwatoli motor road in distt-Bageshwar.

certified that :-

The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.850 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.....to annexure.....

The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA:
YES

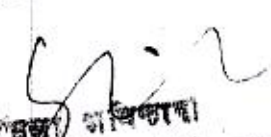
The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of Maudiyar Gwatoli Village (s) is enclosed as annexure.....

The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: **YES**

The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: **YES**

The right of primitive groups and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: **NA**

As above


Bhupendra Singh Manral
District Collector
Bageshwar

साभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्राप्त
प्रमाण

परिवारों/ग्रामों/जनसंख्या के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बनलेख-मउडियार-गवातोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	परिवार	जनसंख्या
मउडियार	35	152
मउडियार	70	264
मउडियार	72	307
मउडियार	80	405
मउडियार	25	114
योग-		1342

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

छाया प्रति प्रमाणित

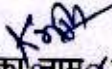
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

प्रारूप

1. परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या - FP/UK/ROAD/11434 /2015
2. परियोजना का नाम व जनपद- बागेश्वर में बननेवाले मउडियार जवातौली में मण्ड
3. परियोजना का क्षेत्रफल (है० में) - 4.41
4. प्रयोक्ता एजेंसी का नाम व पता- जो कि विभाग कपकोट
5. वन विभाग का नाम - प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर।

प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम- ~~कर्म~~ **खिवित्य** क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल 4.42 है० है, का पुनः दिनांक 17/12/2016 को (प्रभागीय वनाधिकारी/समक्ष अधिकारी का नाम अंकित किया जाय) स्थलीय निरीक्षण किया जाय। स्थलीय निरीक्षण के दौरान उक्त क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवन्त वन भूमि पर सर्वथा उपयुक्त पाया गया। भारत सरकार द्वारा डी०एस०एस० पर उक्त क्षेत्र की स्थिती वनों से आच्छादित पायी जा रही है, जो कि सही नहीं है।

हस्ताक्षर


(सक्षम अधिकारी का नाम/पद/मोहर सहित)
अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

हस्ताक्षर


(प्रभागीय वनाधिकारी का नाम/पद/मोहर सहित)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

MUCK DISPOSAL PLAN

परियोजना का नाम:- एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में मउडियार ग्वातोली मोटर मार्ग का निर्माण।

Muck Disposal Plan

1- Material received from hill side cutting

In km. 1	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (1.1 + 1.50)/2$	=1287.50 cum
In km. 2	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (2.2 + 1.10)/2$	=1633.50 cum
In km. 3	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (1.3 + 2.10)/2$	=1683.50 cum
In km. 4	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (2.00 + 1.50)/2$	= 1732.50 cum
In km. 5	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (2.10 + 1.30)/2$	=1683.00 cum
In km. 6	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (3.10 + 1.10)/2$	=2079.00 cum
In km. 7	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (1.1 + 1.20)/2$	=1138.50 cum
In km. 8	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (1.5 + 1.10)/2$	=1287.00 cum
In km. 9	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (1.20 + 1.10)/2$	=1138.50 cum
In km. 10	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (1.3 + 2.10)/2$	=841.50 cum
From Km 26 to BDDK motor road		
In km. 1	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (1.2 + 2.1)/2$	=1633.50 cum
In km. 2	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (1.3 + 1.5)/2$	=1386.00 cum
In km. 3	$0.33 \times 1000 \times 3 \times (1.3 + 1.1)/2$	=594.00 cum
Total :-		<u>=18118.00 cum</u>
40% for swell factor :-		<u>=7247.20 cum</u>
Grand total :-		<u>=25365.20 cum</u>

- 2- Total material (muck) used in motor Road
During construction approximate 90% of
Total material in RR dry, HP ston filling.
And surface dressing etc. = 22828.68 cum
- 3- Balance material (muck) to be deposited in
Muck desposal site. (1-2 above) = 2536.52 cum
- 4- Cost of cartage balance muck upto dumping site
3021.48 cum @ Rs. 55.00/cum. = Rs. 139508.60
- 5- Location and capacity of muck dumping yard.
(c) Construction of RR dry wall including
Supply of all materials, labour and T & P
Etc. required for proper completion of the
Work as per PWD detailed specification

Location	Size of dumping yard	QTY (in cum)	Type of land	Capacity of dumping yard
In km 1	1x30x1.50x3.0	=135.00	Nap Land	270.00 cum
In km 1	1x100x1.00x1.50	=150.00	Nap Land	300.00 cum
In km 2	1x28x2.00x2.00	= 112.00	Nap Land	224.00 cum
In km 2	1x32x2.50x2.0	=160.00	Nap Land	320.00 cum
In km 3	1x80x1.5x2.0	=105.00	Nap Land	210.00 cum
In km 4	1x70x2.50x3.00	=525.00	Nap Land	900.00 cum
In km 5	1x35x1.50x2.50	=131.25	Nap Land	224.00 cum
In km 5	1x35x1.50x2.50	=84.00	Nap Land	168.00 cum
In km 6	1x28x2.00x1.50	=84.00	Nap Land	168.00 cum
In km 8	1x32x2.00x1.50	=96.00	Nap Land	192.00 cum
In km 9	1x28x1.50x2.50	=105.00	Nap Land	210.00 cum
In km 9	1x35x2.00x1.50	=105.00	Nap Land	210.00 cum
Total:-		= 1792.25		=3396.00 cum

(d) Total cost of construction of dumping

Yard 1275 cum @ 330.00 per cum.

= Rs.591442.50

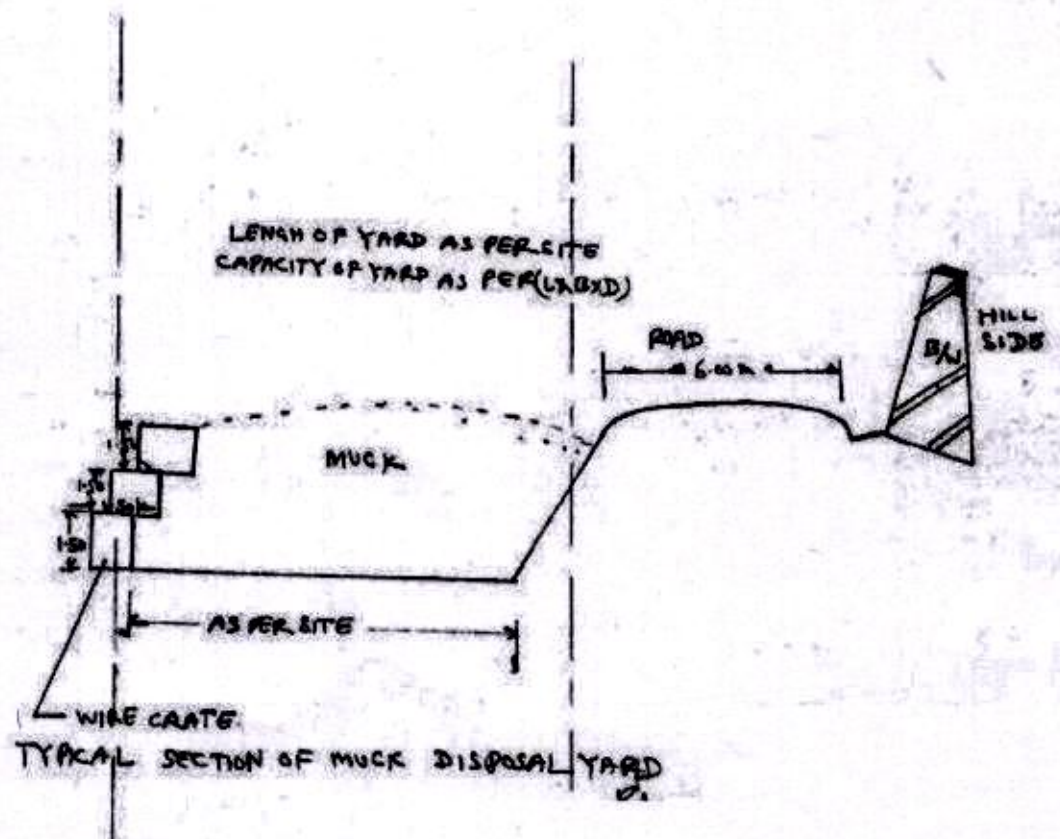
6- Total Cost of muck disposal plan. (4+5 (b))

=Rs 732856.80

7- Dumping site selected in khud side of the proposed motor road. After construction of motor road plantation will be made by the forest Department through the provisions of both side plantation fund already deposited by this Department.

अधिकासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

अधिकासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
कपकोट



निर्माण खण्ड लो 0 नि 0 वि 0
कपकोट

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो 0 नि 0 वि 0
कपकोट

सहमती प्रमाण पत्र

सर्व सहमति से जनपद बागेश्वर में के अन्तर्गत बनलेख मौउडियार गवातोली मोटरमार्ग में मार्ग कटिंग हेतु मार्ग के दाये ओर बाये ओर पडने वाले नाप भूमी में मक को रखने हेतु हम अपनी नाप भूमी को देनी के लिये तैयार हू इसमें विभागी दरो पर हो भी मुआवजा बनेगा उसमें हम सभी भूमी धर सहमत है

ग्राम सभा का नाम लेसानी / मौउडियार / जुनायल / गवातोली

कास्तकार का नाम

1 आनन्द बल्लभ

2 गोविन्द बल्लभ

3 तारा दत्त

4 पूरन चन्द्र

5 सुरेश चन्द्र

6 चन्द्र कला

7 वन्शीधर

8 सुरेश चन्द्र

9 कान्तीदेवी

10 नर राम

11 फकिरराम

12 विश्वम्बरदत्त

13 महेशचन्द्र

14 नवीनचन्द्र

15 ख्यालीराम

16 भाष्करानन्द

17 दिनेशचन्द्र

18 रमेशचन्द्र

19 प्रेमराम



बागेश्वर
 जिला पंचायत

खसरा नं०	रकबा	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा	खातासं०
-------------	------	----------	-------------	------	---------

4	0.0110	04	1541	0.0090	109
39	0.0180	04	1542	0.0090	109
58	0.0360	04	1560	0.0080	109
85	0.0150	04	1562	0.0080	109
89	0.0110	04	1574	0.0110	109
93	0.0090	04	1575	0.0180	109
103	0.0100	04	1580	0.0090	109
106	0.0100	04	1581	0.0090	109
1670	0.0110	37	1588	0.0110	109
1687	0.0110	37	1590	0.0150	109
1690	0.0110	37	1593	0.0180	109
1708	0.0140	37	2347	0.0080	96
1710	0.0100	37	2352	0.0180	96
1724	0.0100	37	2359	0.0110	96
1725	0.0140	37	2361	0.0160	96
1743	0.0110	37	2556	0.0190	96
1793	0.0110	37	2557	0.0090	96
1797	0.0110	37	2558	0.0250	96
1802	0.0240	37	2561	0.0110	96
1803	0.0230	37	2567	0.0100	96
1822	0.1300	37	2569	0.0100	96

0-411 हेमेटो

20-नवी

अपना कुल नुस्ते = 1.46 हेमेटो

0-362 हेमेटो

93 नवी



Handwritten signature and official stamp.

1824	0.0130	37	2573	0.0100	96
1825	0.0130	37	2589	0.0100	96
1851	0.0140	37	1472	0.0140	39
1853	0.01800	37	1473	0.0200	39
1859	0.0200	37	1476	0.0160	39
1880	0.0150	37	1485	0.0130	39
1863	0.0160	37	1497	0.0180	39
1864	0.0160	37	1498	0.0140	39
1866	0.0160	37	1499	0.0090	39
2062	0.0230	37	1500	0.0090	39
2063	0.0180	37	1502	0.0210	39
2066	0.0100	37	1505	0.0080	39
2067	0.0140	37	1510	0.0090	39
2070	0.0500	37	1511	0.0250	39
2071	0.0160	37	1520	0.0130	39
2072	0.0160	37	1521	0.0140	39
2076	0.0230	37	1531	0.0180	39
2077	0.0130	37	1547	0.0150	39
2078	0.0110	37	1555	0.0140	39
3337	0.0130	37	1557	0.0090	39
3039	0.0160	37	2712	0.0140	39
3510	0.0160	37	2713	0.0130	39
3543	0.0150	37	2717	0.0100	39
3545	0.0140	37	2719	0.0110	39
3876	0.0160	37	4638	0.0180	39
3843	0.0180	37	4639	0.0110	39
3857	0.0140	37	4640	0.0100	39

0-441 हेड

श्री 2 नाभी

0-366 हेड

कुल नाप करी 1-46 हेड



संशोध

पेज सं० १

०-४॥ ~~२०१०~~ २०११
०-२६२ ~~२०१०~~ १३

पेज सं० २

०-४४१ ~~२०१०~~ २२
०-३६६ ~~२०१०~~ १२

०५

१-४६ ~~२०१०~~ १२
१३.



लिखित
परीक्षा
०५/०५/१२